उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
17/21	मूलोन 136 LRAct	मूलोन	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मुरारी	बनाम	राज0 सरकार

वकील :- भवरसिंह ओसेन एडवो | **आदेश पत्रक** | वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
5/4/21	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.05.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
4/5/21	कोरोना संक्रमण — आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनाक 7/6/021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
7/6/21	कोरोना — आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 7/7/021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
07/07/21	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 16/8/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
16/8/21	पत्रावली पेश हुई। Covid-19 के कारण पूर्ववत स्थिति में ओज पेश हुई। तहसीलदार से रिपोर्ट अप्राप्त। वास्ते इंतजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/9/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
01 9/21	पत्रावली covid-19 के कारण पूर्ववत पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से जवाब पेश नहीं। तहसीलदार के रिपोर्ट होने वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 18/10/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
8/8/22	राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प के लिए पत्रावली प दिनांक 13/8/22 नियत की जाती है। लोक अदालत कोर्ट केम्प मे निस्तारण नहीं होने की दशा मे पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 31/8/22 को न्यायालय मे पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां
	राजस्व लोक अदालत केम्प छबड़ा 13/8/22
13 8/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act इस आशय का पेश किया गया है। कि ग्राम मूलोन में स्थित भूमि में प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 84 किता 5 रकबा 19.14 बीघा एंव खाता संख्या 129 किता 3 रकबा 2.06 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम भूरा व भूरालाल दर्ज रिकार्ड है। जिसे शोभनीय भाषा में साफ-सरल दुरस्त करने के आदेश फरमावे।
	प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर TDR छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण मुरारी संतोष कौम मेहर सा. मूलोन ने ग्राम मूलोन के राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 84 व 129 में पिता का नाम भूरा के स्थान पर रामचरण दर्ज करवाना चाहते है।
	मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम मूलोन में प्रार्थीगण के दादा मोतीलाल का फौती नामान्तरण दर्ज किया

(मुहर) पखण्ड अधिकारी बड़ा जिला बारॉं (राज.)

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
तब से ही नाम मूरालाल चला आ रहा है। जबकि ग्राम कोर्ट में जानकारी करने पर, एवं दस्तावेजों आधार कार्ड पहचान पत्र भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड बैंक की डायरी में वादीगण के पिता का नाम रामचरण ही दर्ज है। अतः वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में रामचरण शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।	
हमने तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act का एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि ईतकाल न० 99 में मोतीलाल वादी के दादा के फौत होने पर वारिसान के अपने मूरचंद नो०वा० का नाम दर्ज होना पाया जाता है। जमाबंदी सम्वत 2074-2077 ग्राम मूलौन के खाता सं० 129 में प्रार्थी के पिता का नाम मूरालाल नो.बा. दर्ज होना पाया जाता है।	
ग्राम मूलौन में भी इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी के पिता का नाम मूरा दर्ज होना पाया जाता है। तथा सरपंच ग्रामपंचायत मूलौन द्वारा मूरा और रामचरण दोनों एक ही व्यक्ति के नाम का प्रमाण पत्र पेश किया हुआ है।	
पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार छबड़ा की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी के पिता का अशोधनीय नाम मूरा व मूरालाल के स्थान पर शोधनीय नाम में रामचरण उर्फ मूरालाल शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं।	
अतः मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम मूरालाल अधिनियम 1956 की धारा 136 L.R.Act के तहत मूरालाल के स्थान पर रामचरण उर्फ मूरालाल शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमल	

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	बरामद करने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करे। निर्णय प्रति तहसीलदार छबड़ा को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)